रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 217] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 17, 2001/श्रावण 26, 1923

No. 217] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 17, 2001/SRAVANA 26, 1923

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस ऑफ इंडिया

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2001

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस)

संख्या : 1-सी. ए (7)/51/2000.— जैसा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में और संशोधन करने हेतु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38वां) की धारा 30 की उपधारा (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार संशोधनों का मसविदा दिनांक 8 जुलाई, 2000 को प्रकाशित भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 के पृष्ठ संख्या 3139 से 3154 पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की अधिसूचना सं-1-सी. ए (7)/51/2000 दिनांक 12 जून, 2000 के तहत प्रकाशित किया गया था।

और जैसा कि कथित राजपत्र की प्रतियां सर्वसाधारण हेतु उपलब्ध होने की तिथि से पैंतालिस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले तक आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये गये थे।

और जैसा कि कथित राजपत्र की प्रतियाँ आम जनता को 18 जुलाई, 2000 से उपलब्ध कराई गई थी।

और जैसा कि कथित संशोधनों के मसविदे पर आम जनता से प्राप्त आपत्तियां एवं सुझावों पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया की परिषद् द्वारा विचार किया गया था तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसका अनुमोदन किया गया।

अब, कथित अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, परिषद्, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, एतद्द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत :—

1. (i) इन विनियमों को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विनियम, 2001 कहा जायेगा ;

(ii) ये विनियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 में—

(i) विनियम 4 में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, नामत :—

"(ख) व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो और पाठ्यक्रम में भाग लिया हो जैसा कि इन विनियमों में उपबन्धित है तथा अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो जो भी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; या"

(ii) विनियम 21 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, नामत :

"21. सदस्य बनने की शर्तें

अधिनियम या इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संस्थान की सदस्यता के लिए अर्हित होने के लिए किसी व्यक्ति ने—

(क) व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो जैसा कि इन विनियमों में उपबंधित है और अनुसूची 'ख' में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार अंतिम (फाइनल) परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो; या

(ख) व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, पाठ्य विवरण के अनुसार जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अंतिम (फाइनल) परीक्षा उत्तीर्ण

(vii) विनियम 28 में, उप विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:–

"(2) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी परिषद्, वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (पाठ्यक्रम–II) प्रारंभ किए जाने के पश्चात किसी भी समय, अनुसूची "ख" के अधीन इण्टरमीडियट परीक्षा लेनी बंद कर देगी और वह अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा करेगी कि वे परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (परीक्षा–II) उत्तीर्ण करें।"

(viii) विनियम 28 के पश्चात निम्नलिखित विनियम अंत: स्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :–

"**28.क वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) के लिए रजिस्ट्रीकरण**

(1) वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (पाठ्यक्रम–II) के लिए किसी अभ्यर्थी को तब तक रजिस्टर नहीं किया जायेगा जब तक कि उसने वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (परीक्षा–I) उत्तीर्ण न कर ली हो या इन विनियमों के अधीन उक्त परीक्षा से छूट प्राप्त न हो:

परन्तु कोई अभ्यर्थी जिसने चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट्स विनियम,1988 के अधीन प्रवेश या फाउण्डेशन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (पाठ्यक्रम–II) के लिए अपने आपको रजिस्टर कराने के लिए पात्र होगा।

(2) उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला अभ्यर्थी परिषद् के तत्वाधान में स्थापित कोचिंग संगठन के प्रमुख द्वारा, चाहे उसका कोई भी पदनाम हो, वृत्तिक (प्रोफेसनल शिक्षा) (पाठ्यक्रम–II) के लिए अन्तिम रूप से रजिस्टर किया जायेगा।

(i) वह अभ्यर्थी जो इन विनियमों के अधीन वृत्तिक, (प्रोफेसनल) शिक्षा (परीक्षा-II) में बैठा है अथवा भारतीय लागत एवं संकर्म संस्थान या भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की अंतिम परीक्षाओं में बैठा है;

(ii) वह अभ्यर्थी जिसने द्वितीय वर्ष स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और इस आशय की घोषणा की है कि अन्तिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से छः मास के भीतर अंतिम वर्ष की स्नातक परीक्षा में बैढ़ने का पात्र होने के कारण छः मास की उपरोक्त अवधि के भीतर उक्त अंतिम वर्ष की स्नातक परीक्षा में बैठेगा।

(3) ऐसे अभ्यर्थी के अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (परीक्षा-I) या भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान द्वारा या भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित अंतिम (फाईनल) परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सबूत विनियम 25 (ख) (i) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अंक के साथ स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सबूत कोचिंग संगठन को, ऐसे अभ्यर्थी को दशा में, जो खण्ड (1) के अन्तर्गत आते है, अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण की तारीख से तीन मास के भीतर, और ऐसी अभ्यर्थी की दशा में जो उपविनियम (2) के खंड (ii) के अंतर्गत आते हैं, अंतिम वर्ष की स्नातक परीक्षा में बैठने की तिथि से छः मास के भीतर पेश किए जाने पर ही की जाएगी:–

परन्तु यह कि यदि ऐसा अभ्यर्थी, यथास्थिति, तीन मास या छः मास की पूर्वोक्त अवधि के भीतर ऐसा सबूत पेश करने में असफल रहता है तो उसका अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाएगा और उसके द्वारा दी गई रजिस्ट्रीकरण फीस या ट्यूशन फीस वापस नहीं की जाएगी तथा इन विनियमों के प्रयोजन के लिए सैद्धान्तिक शिक्षा के लिए और उत्तीर्ण की गई पात्रता परीक्षाओं के लिए कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

(4) वृत्तिक (प्रोफेशनल) शिक्षा (पाठ्यक्रम–II) में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को परिषद् द्वाराअनुमोदित आवेदनपत्र

के साथ-साथ उतनी फीस देनी होगी जितनी परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

28 ख. वृत्तिक (प्रोफेशनल) शिक्षा (परीक्षा-II) में प्रवेश, फीस और पाठ्यविवरण

(1) किसी भी अभ्यर्थी को वृत्तिक (प्रोफेशनल) शिक्षा (परीक्षा-II) में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह परिषद् के तत्वाधान में स्थापित कोचिंग संगठन के प्रमुख का, चाहे कोई भी पदनाम हो, यह प्रमाणपत्र पेश न कर दे कि वह उस कोचिंग संगठन के यहां रजिस्टर है तथा उसने सैद्धान्तिक शिक्षण स्कीम की अपेक्षाएं पूरी कर दी हैं।

(2) उप विनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी से, जिसने इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व आंशिक या पूर्णत: व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है किन्तु इन विनियमों की अनुसूची 'ख' के पैरा 2 क में दिए गए पाठ्यविवरण के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वृत्तिक (प्रोफेशनल) शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण किए जाने की अपेक्षा की जाएगी और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए यदि उसने पूर्व में कोई पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी तो वह विधिमान्य रहेगी;

परन्तु ऐसा अभ्यर्थी इन विनियमों के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षण जारी रखने और पूरा करने के लिए हकदार होगा।

(3) उप विनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी को, जो उस परीक्षा में जिसमें वह बैठने के लिए पात्र हो जाता है, लगातार पांच प्रयासों में वृत्तिक (प्रोफेशनल) शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, उक्त परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस विनियम के प्रयोजन के लिए, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जाने के पश्चात् ऐसा प्रयास भी, जिसका उसने लाभ नहीं उठाया है, लगातार पांच प्रयासों की गणना के लिए एक प्रयास के रूप में गिना जाएगा।

(4) वृत्तिक (प्रोफेशनल) शिक्षा (परीक्षा-II) के अभ्यर्थी को उतनी फीस देनी होगी जितनी परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

(5) वृत्तिक (प्रोफेशनल) शिक्षा (परीक्षा - II) के अभ्यर्थी को उन विषयों में परीक्षा देनी होगी जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।"

(ix) विनियम 29 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"29. अन्तिम (फाईनल) परीक्षा में प्रवेश: [उन अभ्यर्थियों को लागू जो अनुसूची 'ख' के पैरा 3क में निहित पाठ्यविवरण के अनुसार अंतिम (फाईनल) परीक्षा में बैठे हैं];"

(x) विनियम 29 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"29 क. अंतिम (फाईनल) परीक्षा में प्रवेश। [उन अभ्यर्थियों को लागू जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार अंतिम (फाईनल) परीक्षा में बैठे हैं]-

(1) किसी भी अभ्यर्थी को अंतिम (फाईनल) परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि-

(i) उसने इन विनियमों के अधीन वृत्तिक (फाईनल) शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण न कर ली हो; और

(ii) उसने व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा न कर लिया हो जैसा कि सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित है अथवा उस मास के प्रथम दिन जिसमें परीक्षा आयोजित की जाने के लिए नियत है, व्यवहारिक प्रशिक्षण के शेष छह मास के लिये सेवारत न हो; और

(iii) वह परिषद् के तत्वाधान में स्थापित कोचिंग संगठन के प्रमुख से चाहे उसका कोई भी पदनाम हो, यह प्रमाणपत्र पेश न कर दे कि उसने सैद्धान्तिक शिक्षण स्कीम की अपेक्षाएं पूरी कर दी हैं:

परन्तु सैद्धान्तिक शिक्षण स्कीम की अपेक्षा ऐसे अभ्यर्थी पर लागू नहीं होगी जिसे परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार अंतिम (फाईनल) परीक्षा के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजित की गई अंतिम (फाईनल) परीक्षा में प्रवेश दिया गया था।

स्पष्टीकरण : उपर्युक्त छह मास की अवधि की गणना करते समय आर्टिक्ल लिपिक की दशा में 138 दिन से और संपरीक्षा लिपिक की दशा में 184 दिन से अधिक ली गई छुट्टियां, उस अवधि के रूप में मानी जाएगी जिसमें यथास्थिति, आर्टिकल या संपरीक्षा सेवा के अधीन सेवारत रहना अपेक्षित है।

(2) उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी जिसने इन विनियमों या चार्टर्ड अकाउण्टेन्टस विनियम, 1964 के अधीन इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है अथवा चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस विनियम, 1949 के अधीन इण्टरमीडिएट या प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या जिसे उन विनियमों के अधीन प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट प्राप्त थी, अंतिम (फाईनल) परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा बशर्ते कि उसने व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो जैसा कि सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए अपेक्षित है या उस मास के प्रथम दिन जिसमें परीक्षा आयोजित की जानी नियत है, आधिक्य छुट्टियों सहित यदि कोई है, व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतिम छह मास के लिये सेवारत हो।

स्पस्टीकरण : उपर्युक्त छह मास की अवधि की गणना करते समय आर्टिकल लिपिक की दशा में 138 दिन से और संपरीक्षा लिपिक की दशा में 184 दिन से अधिक की गई छुट्टियों उस अवधि के रूप में समझी जाएंगी जिसमें, यथास्थिति आर्टिकल या संपरीक्षा सेवा के अधीन सेवारत रहना अपेक्षित है।

(xi) विनियम 31 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"31. अंतिम (फाईनल) परीक्षा के लिए पाठ्यविवरण

(1) अंतिम (फाईनल) परीक्षा के अभ्यर्थी की परीक्षा अनुसूची 'ख' के पैरा 3क में विहित समूहों ओर विषयों मे ली जाएगी।

(2) इन विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, परिषद्, वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (पाठ्यक्रम-II) शुरू किए जाने के बाद किसी भी समय, अनुसूची 'ख' के पैरा 3क के अधीन अंतिम (फाईनल) परीक्षा आयोजित करना बंद कर सकेगी और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वे परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार अंतिम (फाईनल) परीक्षा उत्तीर्ण करें।"

(xii) विनियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"36. फाउंडेशन और वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (परीक्षा-I) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा

(1) यदि फाउंडेशन परीक्षा का अभ्यर्थी हर प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है और सब प्रश्नपत्रों के कुल अंकों के योग कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो साधारणतया उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।

(2) यदि वृत्तिक (प्रोफेशनल) शिक्षा (परीक्षा-I) का अभ्यर्थी हर प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है और सब प्रश्नपत्रों के कुल अंकों के योग का कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो साधारणतया उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।"

(xiii) विनियम 37 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"37 क. वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा:

(1) यदि कोई अभ्यर्थी दोनों समूहों में उत्तीर्ण हो जाता है तो साधरणतया उसे वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (परीक्षा-II) में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। वह या तो दोनों समूहों में साथ-साथ बैठ सकता है या एक परीक्षा में एक समूह में और पश्चात्वर्ती किसी परीक्षा में दूसरे समूह में बैठ सकता है।

(2) किसी अभ्यर्थी को साधारणतया दोनों समूहों में साथ-साथ उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, यदि वह-

(क) प्रत्येक समूह के प्रत्येक प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है और प्रत्येक समूह के सब प्रश्नपत्रों के कुल मिला कर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है; या

(ख) दोनों समूहों के हर प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है और एक साथ दोनों समूहों के सभी प्रश्नपत्रों के कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है।

(3) यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक समूह के हर प्रश्नपत्र में एक प्रयास में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है और उस समूह के सब प्रश्नपत्रों के कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे उस समूह में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।

(4) किसी अभ्यर्थी को, जिसने चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस विनियम, 1964 की अनुसूचि 'ख' या अनुसूचि 'खख' के अधीन अथवा चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस विनियम, 1988 की अनुसूचि 'ख' के पैरा 2 के अधीन आयोजित इण्डरमीडिएट परीक्षा के किसी एक समूह में उत्तीर्ण हो गया हो किन्तु दोनों समूहों में नहीं और बाद में उन विनियमों की अनुसूचि 'ख' के पैरा 2क के अधीन यूनिट अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठता है या बैठने के लिए अपेक्षित किया जाता है, किन्तु सम्बद्ध यूनिट में उतीर्ण नहीं होता है, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार परीक्षा के प्रारंभ तक अपनी संबंधित यूनिट में बैठने के लिए हकदार होगा। तत्पश्चात् यूनिट अभ्यर्थी के रूप में बैठने के लिए हकदार नहीं रहेगा और ऐसे अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि यदि वे पाठ्यक्रम जारी रखना चाहते हैं तो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविषरण के अनुसार वृत्तिक (प्रोफेसनल) शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण करने के लिए दोनों समूहों के सभी प्रश्नपत्रों में परीक्षा दें।

स्पष्टीकरण : ऊपर निर्दिष्ट 'यूनिट' पद प्रश्नपत्रों का एक सेट है जिनमें अभ्यर्थी, जो किसी एक समूह में उत्तीर्ण हो गया है किन्तु चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 2क में विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन परीक्षा के प्रारंभ के पूर्व इण्टरमीडिएट परीक्षा के दोनों समूहों में उत्तीर्ण नहीं हुआ है, परीक्षा में बैठने और उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित है।

(5) परिषद् ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने कि चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस विनियम, 1988 के अनुसूची 'ख' के पैरा 2क के अन्तर्गत अथवा परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट नये पाठ्यक्रम या तत्पश्चात विनिर्दिष्ट किसी अन्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत, एक ग्रुप (समूह) उत्तीर्ण कर लिया हो, को एक ग्रुप (समूह) में अथवा प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में छूट प्रदान करने हेतु मार्ग दर्शिका (गाईडलाईन्स) निर्धारित कर सकती है, परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु, ऐसे अभ्यर्थी को एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत और ऐसे प्रश्नपत्र/ग्रुप (समूह) को कुल मिला कर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

परन्तु यह कि इस तरह निर्धारित मार्ग दर्शिकाओं (गाइडलाइन्स) में तत्पश्चात कोई भी संशोधन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही लागू होंगे।

(6) परिषद् ऐसे अभ्यर्थी को , जिसने कि किसी पूर्ववर्ती

पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों में परीक्षा देने से छूट प्राप्त की हो, परिषद द्वारा निर्धारित नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत, ऐसे प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों में यदि वह नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आता/आते है, बांकी बचे छूट के अवसर/अवसरों को जारी रखने हेतु, मार्ग दर्शिकाओं (गाईडलाईन्स) का निर्धारण कर सकती है और ऐसा अभ्यर्थी उस प्रश्न पत्र के स्थान पर जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहा था, तत्स्थानी प्रश्न-पत्र में बैठेगा और यदि वह उस प्रश्नपत्र के स्थान पर जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहा था, तत्स्थानी प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है, तथा उन प्रश्नपत्रों के अंकों सहित जिनमें उसे परिषद् द्वारा छूट दी गई थी, उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों के कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है, तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा:

परन्तु यह कि इस तरह निर्धारित मार्ग दर्शिकाओं (गाईडलाईन्स) में तत्पश्चात् कोई भी संशोधन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही लागू होंगे।

परन्तु आगे यह कि ऐसा अभ्यर्थी जो चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 2क में दिए गए पाठ्यविवरण के अनुसार एक यूनिट अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठा था और जिसे पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम के अधीन परिषद् द्वारा छूट दी गई थी, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार परीक्षा के प्रारंभ तक छूट का/के बाकी अवसर/अवसरों का लाभ उठाने के लिए हकदार होगा। यदि ऐसा अभ्यर्थी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार परीक्षा के प्रारंभ से पूर्व उस यूनिट में जिसमें कि वह है उत्तीर्ण नहीं हो पाता, तो छूट का/के बाकी अवसर तत्पश्चात् परीक्षा की यूनिट स्कीम बंद हो जाने के परिणामस्वरूप स्वत: समाप्त (व्यपगत) हो जाएगा/जाएंगे।

(7) उपविनियम (1) से (6) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अभ्यर्थी, जो एक समूह के एक या अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है, किन्तु उस समूह के किसी प्रश्नपत्र या किन्हीं प्रश्नपत्रों में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है, तो वह उस प्रश्नपत्र या उन प्रश्नपत्रों में जिसमें/जिनमें उसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्रापत किए हैं, ठीक अगली तीन परीक्षाओं में, एक या अधिक में बैठने के लिए हकदार होगा और यदि वह ऐसे प्रत्येक प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तथा उस प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों सहित जिसमें या जिनमें उसने ऊपर पहले निर्दिष्ट परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए है, उस समूह के सभी प्रश्पत्रों के कुल अंकों के कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त कर लेता है तो उस समूह में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों में उपस्थित रहा था और वह उस समूह में दी गई पूर्व छूट, यदि कोई हो, को पहले ही ले चुका है।

(xiv) विनियम 38 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"38-क. अंतिम (फाइनल) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षाएं: [ऐसे अभ्यर्थियों को लागू जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार अन्तिम (फाईनल) परीक्षा में बैठे हैं]

(1) यदि कोई अभ्यर्थी दोनों समूहों में उत्तीर्ण हो जाता है तो साधारतया उसे अंतिम (फाईनल) परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। वह दोनों परीक्षाओं में या तो साथ-साथ बैठ सकता है या एक परीक्षा में एक समूह में और बाद की किसी परीक्षा में दूसरे समूह में बैठ सकता है।

(2) किसी अभ्यर्थी को साधारणतया दोनों समूहों में साथ-साथ उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा, यदि वह-

(क) प्रत्येक समूह के हर प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है और प्रत्येक समूह के सभी प्रश्नपत्रों के कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है; या

(ख) दोनों समूहों के प्रत्येक प्रश्नपत्र में एक बार में

कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है और एक साथ दोनों समूहों के सभी प्रश्नपत्रों के कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है।

(3) यदि कोई अभ्यर्थी किसी एक समूह के हर प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है और उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों के कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे ऐसे समूह में उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा।

(4) कोई अभ्यर्थी जिसने चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट विनियम, 1964 की अनुसूची 'ख' या अनुसूची 'ख ख' के अधीन आयोजित अंतिम (फाईनल) परीक्षा का कोई एक समूह उत्तीर्ण कर लिया है किन्तु उसके सभी समूह उत्तीर्ण नहीं किए हैं (तीन समूह प्रणाली के अधीन। जनवरी, 1985 से पूर्व) और जो तत्पश्चात चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस विनियम, 1988 के अनुसूची 'ख' के पैरा 3क के अधीन यूनिट अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठा है या बैठने के लिए अपेक्षित किया जाता है, किन्तु सम्बद्ध यूनिट में उत्तीर्ण नहीं होता है। परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार परीक्षा के प्रारंभ तक अपनी संबंधित यूनिट में बैठने के लिए हकदार होगा। तत्पश्चात् वह यूनिट अभ्यर्थी के रूप में बैठने के लिए हकदार नहीं रहेगा और ऐसे अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि यदि वे पाठ्यक्रम जारी रखना चाहते है तो वे परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार अंतिम (फाईनल) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सभी समूहों के सभी प्रश्नपत्रों में परीक्षा दे।

स्पष्टीकरण: ऊपर निर्दिष्ट 'यूनिट' पद प्रश्नपत्रों का एक सेट है जिसमें अभ्यर्थी, जो किसी एक या अधिक समूहों में उत्तीर्ण हो गया है किन्तु चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस विनियम 1988 के अनुसूची 'ख' के पैरा 3क में विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अधीन परीक्षा के प्रारंभ के पूर्व अंतिम (फाईनल) परीक्षा के सभी समूहों में उत्तीर्ण नहीं हुआ है, परीक्षा में बैठने और उत्तीर्ण होने के लिए अपेक्षित है।

(5) परिषद्, ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने कि चार्टर्ड अकाउण्टेण्टस विनियम 1988 के अनुसूची 'ख' के पैरा 3क के अन्तर्गत अथवा परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट नये पाठ्यक्रम या तत्पश्चात् विनिर्दिष्ट किसी अन्य पाठ्यक्रम के अन्तर्गत एक ग्रुप (समूह) उत्तीर्ण कर लिया हो, को एक ग्रुप (समूह) में अथवा प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों में छूट प्रदान करने हेतु मार्ग दर्शिका (गाईडलाईन्स) निर्धारित कर सकती है, परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु, ऐसे अभ्यर्थी को एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत और ऐसे प्रश्नपत्र/ग्रुप (समूह) को कुल मिला कर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

परन्तु यह कि इस तरह निर्धारित मार्ग दर्शिकाओं (गाईडलाईन्स) में तत्पश्चात् कोई भी संशोधन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही लागू होंगे।

(6) परिषद् ऐसे अभ्यर्थी को, जिसने कि किसी पूर्ववर्ती पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों में परीक्षा देने से छूट प्राप्त की हो, परिषद् द्वारा निर्धारित नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों में, यदि वह नये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आता/आते हैं, बाकी बचे छूट के अवसर/अवसरों को जारी रखने हेतु, मार्ग दर्शिकाओं (गाईडलाईन्स) का निर्धारण कर सकती है और ऐसा अभ्यर्थी उस प्रश्नपत्र के स्थान पर जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहा था, तत्स्थानी प्रश्नपत्र में बैठेगा और यदि वह उस प्रश्नपत्र के स्थान पर जिसमें वह अनुत्तीर्ण रहा था, तत्स्थानी प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है, तथा उन प्रश्नपत्रों के अंकों सहित जिनमें उसे पूर्व में परिषद् द्वारा छूट दी गई थी, उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों के कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है, तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा:

परन्तु यह कि इस तरह निर्धारित मार्ग दर्शिकाओं (गाईडलाईन्स) में तत्पश्चात् कोई भी संशोधन केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से ही लागू होंगे।

परन्तु आगे यह कि ऐसा अभ्यर्थी जो चार्टर्ड

अकाउण्टेण्टस विनियम, 1988 की अनुसूची 'ख' के पैरा 3क में दिए गए पाठ्यविवरण के अनुसार एक यूनिट अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में बैठा था और जिसे पूर्ववर्त्ती पाठ्यक्रम के अधीन परिषद् द्वारा छूट दी गई थी, परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार परीक्षा के प्रारंभ तक छूट का/के बाकी अवसर/अवसरों का लाभ उठाने के लिए हकदार होगा। यदि ऐसा अभ्यर्थी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यविवरण के अनुसार परीक्षा के प्रारंभ से पूर्व उस यूनिट में जिसमें हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो छूट का/के बाकी अवसर तत्पश्चात् परीक्षा की यूनिट स्कीम बंद हो जाने के परिणामस्वरूप स्वत: समाप्त (व्यपगत) हो जाएगा/जाएंगे।

(7) उपविनियम (1) से (6) में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा अभ्यर्थी, जो एक समूह के एक या अधिक प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण रहता है, किन्तु उस समूह के किसी प्रश्नपत्र या किन्हीं प्रश्नपत्रों में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो वह उस प्रश्पत्र या उन प्रश्नपत्रों में जिसमें/जिनमें उसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक अगली तीन परीक्षाओं में, एक या अधिक में बैठने के लिए हकदार होगा और यदि वह ऐसे प्रत्येक प्रश्नपत्र में एक बार में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तथा उस प्रश्नपत्र या प्रश्नपत्रों सहित जिसमें या जिनमें उसने ऊपर पहले निर्दिष्ट परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों के कुल अंकों के कम से कम 50 प्रतिशत प्राप्त कर लेता है तो उसे उस समूह में उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, यदि वह उस समूह के सभी प्रश्नपत्रों में उपस्थित रहा था और वह उस समूह में दी गई पूर्व छूट, यदि कोई हो, को पहले ले चुका है।"

(xv) विनियम 43 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात-

43. आर्टिकल्ड लिपिक कि नियुक्ति

(1) केवल वही सदस्य जो व्यक्तिक नाम से या एकमात्र स्वायत्तधारी के रूप में व्यापार नाम से या भागीदारी के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है, इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए तथा ऐसे निबंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें परिषद् इस निमित्त अधिरोपित करना ठीक समझे, आर्टिकल लिपिकों की ऐसी संख्यां को जो इससे आगे विनिर्दिष्ट है, प्रशिक्षित करने के लिए हकदार होगा-:

(i) यदि वह कम से कम 3 वर्ष से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है- एक आर्टिकल लिपिक

(ii) यदि वह कम से कम 5 वर्ष से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है- दो आर्टिकल लिपिक

(iii) यदि वह कम से कम सात वर्ष से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है - तीन आर्टिकल लिपिक

(2) कोई सदस्य, जो प्रैक्टिसरत चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट या ऐसे चार्टर्ड अकाउण्टेण्टों की फर्म में बैतनिक नियोजन में है, आर्टिकल लिपिकों को प्रशिक्षित करने के लिए हकदार नहीं होगा। फिर भी ऐसा सदस्य, जिसके अधीन इन विनियमों के लागू होने की तारीख को सेवारत एक या अधिक आर्टिकल लिपिक है तब तक आर्टिकल लिपकों को प्रशिक्षण देता रहेगा जब तक उसके अधीन पहले से सेवारत आर्टिकल लिपिक अपना आर्टिकल प्रशिक्षण पूरा नहीं कर लेते हैं।

(3) जहां किसी ऐसे सदस्य के, जो अपनी प्रैक्टिस समाप्त कर देता है या प्रैक्टिस कर रही फर्म में अपनी भागीदारी/नियोजन से त्यागपत्र दे देता है और प्रैक्टिस समाप्त करते या त्यागपत्र देते समय उसके अधीन सेवारत एक या अधिक आर्टिकल लिपिक हैं, तो ऐसे आर्टिकल लिपिक, फर्म में अपने आर्टिकल की शेष अवधि तक सेवा करते रहेंगे, चाहे अन्य शेष भागीदार उनकी अधिकतम हकदारी तक पहले ही प्रशिक्षण दे रहे हैं। ऐसा सदस्य, उसके अधीन पूर्व में रजिस्ट्रीकृत आर्टिकल लिपिक/लिपिकों की प्रशिक्षण की शेष अवधि समाप्त होने तक आर्टिकल लिपिक/लिपिकों को प्रशिक्षित करने का हकदार नहीं होगा।

(4) जहां कोई सदस्य एक से अधिक फर्मों में भागीदार है और/या किसी एक मात्र स्वायतधारी के रूप में व्यापार नाम से या आपने व्यक्तिगत नाम से चार्टर्ड अकाउण्टेंसी की प्रैक्टिस करता है तो ऐसे सदस्य द्वारा प्रशिक्षित किए जा सकने वाले आर्टिकल लिपिकों की संख्या उपविनियम (1) में विनिर्दिष्ट हकदारी से अधिक नहीं होगी।

(5) कोई सदस्य किसी आर्टिकल लिपिक को नियोजित करने या प्रशिक्षित करने का हकदार केवल तभी होगा जब वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस करता हो और यह प्रैक्टिस, परिषद् की राय में उसकी मुख्य वृत्ति हो और उप विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए किसी सदस्य के लगातार प्रैक्टिस में रहने के वर्षों की संख्या सुनिश्चित करने के लिए वर्षों की केवल उस संख्या पर विचार किया जाएगा जिनके संबंध में सदस्य की प्रैक्टिस मुख्य वृत्ति थी:

बशर्ते यह कि, परिषद्, अपने विवेकानुसार, प्रैक्टिस की निरन्तरता में आए किसी अन्तरात को, जिसकी अवधि कुल मिलाकर 182 दिनों से अधिक नहीं होगी, माफ कर सकेगी।

स्पष्टीकरण : इस उपनियम के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा सदस्य, जो विनियम 51 और 72 के अधीन अनुमोदित किसी एक या अधिक वित्तीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रमों में कम से कम छह वर्ष नियोजित रहने के पश्चात् चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस को अपनी मुख्य प्रैक्टिस के रूप में अपनाता है, तो ऐसा सदस्य को तीन वर्षों तक निरंतर प्रैक्टिस में समझा जाएगा।

(6) परिषद्, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह उचित समझे, किसी विशिष्ट मामले में इस उपनियम के किसी भी उपबंध से छूट दे सकेगी।

(7) इस विनियम के अधीन आर्टिकल लिपिक को प्रशिक्षित करने की किसी सदस्य की हकदारी परिषद् द्वारा विनियम 67 के अधीन लिये गये निर्णय के अनुसार होगी।

(8) इस विनियम में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् व्यक्तिगत नाम/या/व्यापार नाम से एक मात्र स्वायत्त के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहे किसी सदस्य या ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फार्म को किसी ऐसे आधार पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं, आर्टिकल लिपिक नियोजित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(xvi) विनियम 45 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"45. आर्टिक्लशिप में प्रवेश :

(1) आर्टिक्ल लिपिक नियोजित करने वाला प्रैक्टिस कर रहा सदस्य, किसी व्यक्ति को आर्टिक्ल लिपिक के रूप में स्वीकार करने के पूर्व अपना यह समाधान करेगा कि:-

(क) आर्टिक्ल लिपिक को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन के लिए उसकी प्रैक्टिस [उसके व्यक्तिक नाम या व्यापार नाम में या फर्म के भागीदार के रूप में] उचित है; और

(ख) ऐसा व्यक्ति-

(i) आर्टिक्ल प्रारंभ होने की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है; और

(ii) इन विनियमों के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण कर चुका है; और

(iii) परिषद् द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट रीति से, कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है:

सीमाशुल्क की विधियां

शुल्क की उगाही का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और विधायी पृष्ठभूमि; सीमा शुल्क अधिकारियों की नियुक्तियां, पत्तन, मालगोदाम आदि, आयात और निर्यात की प्रकृति और प्रतिबन्ध, उत्पाद शुल्क की उगाही, छूट और संग्रह–विधि और प्रक्रिया पर एक विहंगम दृष्टि; पत्तन से माल की निकासी, जिसमें डाक से भेजा सामान, आयातित अथवा निर्यातित माल तथा रास्ते में आ रहा माल शामिल होगा; शुल्क वापस लेने सम्बन्धी प्रावधान।

केन्द्रीय बिक्री कर की विधियां

केन्द्रीय बिक्री कर की उगाही का विकास और कार्यक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री, राज्य से बाहर बिक्री और आयात तथा निर्यात के दौरान बिक्री–बुनियादी सिद्धांत, व्यापारियों का पंजीकरण तथा कर–योग्य कुल बिक्री का निर्धारण।

प्रश्न पत्र 4 : प्रबंधन सूचना प्रणाली और निगम संचार

ज्ञान का स्तर : कार्यसाधक ज्ञान

उद्देश्य :

(i) विद्यार्थियों को व्यापार में प्रबन्धन सूचना प्रणाली तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग की जानकारी देना,

(ii) विद्यार्थियो को आवश्यक संकल्पनाओं, तकनीकों और कारगर संचार की निपुणताओ से अवगत करना।

ब्यौरेवार अन्तर्वस्तु :

भाग क : प्रबंधन सूचना प्रणाली (अंक 50)

1. प्रणाली विश्लेषण तथा डिजाइन–एक विहंगम दृष्टि।

प्रणाली अध्ययन, प्रणाली डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन; परीक्षण और संपरिवर्तन।

2. प्रबंधन सूचना प्रणालियां (एम.आई.एस.)–एक विहंगम दृष्टि।

प्रबंधन सूचना प्रणाली की संकल्पना, प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास ओर तत्व, एम आई.एस की परिभाषा, विशेषताएं और बुनियादी आवश्यकताए, एम आई एस का ढांचा, कम्प्यूटरीकृत एम आई एस, एम आई.एस. के विकास के प्रति दृष्टिकोण,कारगर एम.आई.एस. की पूर्व–अपेक्षाए, कम्प्यूटर और एम आई एस पर इसका प्रभाव, एम.आई. एस की सीमाएं बनाम डाटा प्रसंस्करण; एम.आई.एस. और निर्णय समर्थित प्रणालियां, एम.आई.एस. और सूचना संसाधन प्रबंधन, कार्यकारी सूचना तथा निर्णय समर्थित प्रणालियां; कृत्रिम आसूचना और विशेषज्ञ प्रणाली, भारतीय संगठनो में एम आई एस; सूचना प्रौद्योगिकी में नवीनतम घटनाएं।

3. कम्प्यूटर और संचार–एक विहंगम दृष्टि

सूचना प्रौद्योगिकी–विश्व ग्राम की संकल्पना, आन–लाइन सूचना सेवाएं, इलेक्ट्रानिक बुलेटिन बोर्ड प्रणालियां, इन्टरनेट, इन्टरानेट, एक्स्ट्रानेट, इलेक्ट्रानिक डाक, इन्टरएक्टिव वीडियो, संचार चैनल, सचार नेटवर्क, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, वीडियो सम्मेलनीकरण, नई सहस्त्राब्दि में उदीयमान सूचना टेक्नालॉजियां।

4. ग्राहक / सर्वर कम्प्यूटिंग

सचार सर्वर, डिजीटल नेटवर्क; इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज और इसके अनुप्रयोग, उद्यम ससाधन योजना प्रणालियां (ई.आर.पी प्रणालिया); अन्तर–सागठनिक सूचना प्रणालियां, मूल्यवर्धित नेटवर्क।

5. इलेक्ट्रानिक कामर्स और इन्टरनेट

ई–कामर्स–बुनियादी तत्व; ई.कामर्स और इंटरनेट, इन्टरनेट के अनुप्रयोग, वेबसाइट प्रबंधन, मल्टी मीडिया।

6. समसामयिक मुद्दे और घटनाएं।

भाग ख : निगम संचार (अंक 50)

7. संचार की प्रक्रिया; संचार के अवरोध और गेटवे, ढांचा–साधन, संचार के तरीके और प्रकार; संचार में फीडबैक; संचार का सामाजिक पहलू।

8. प्रभावी भाषा–प्रभावकारी मौखिक संचार के सिद्धांत विषय की–वाक्–तैयारी; प्रोटोकोल निर्वाह; ध्वनि नियंत्रण, उच्चारण, हाव–भाव (बॉडी लैंग्वेज); संकेत और सुराग; प्रभावशाली भाषा की तकनीकें, अन्तर्वैयक्तिक सचार–बातचीत की कला, वार्तालाप–नियंत्रण, सरकारी और सामाजिक समारोह, साक्षात्कार–साक्षात्कार करने की कला, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार करना, साक्षात्कार की रिकार्डिंग, नौकरी से सम्बन्धित साक्षात्कार।

9. प्रस्तुति और अन्तर्वैयक्तिक निपुणता–प्रभावकारी लिखित संचार के सिद्धांत–व्यापारी, सामाजिक तथा सरकारी आधिकारियो के समक्ष तर्कसंगत ढंग से लिखित में मामलों की प्रस्तुति, सार्वजनिक मंचों पर प्रस्तुति, प्रेस विज्ञप्तियां, बायोडाटा तथा संक्षिप्त वृत्तांतों की तैयारी।

10 सार्वजनिक सम्बन्धों की कला; जनता और संगठनो से सम्पर्क और सौहार्द स्थापना; सामाजिक घटनाओं में भागीदारी, कार्यक्रम प्रायोजन, निगम नोटिसों तथा विज्ञापनो का प्रारूपण, निगम छवि निर्माण।

11 बातचीत करने की कला; लोगो को परामर्श देना, विवाद समाधान और समस्या समाधान तकनीक, सुनने, समझने, विरोधियों पर विजय पाने की कला; समझाने और प्रभावित करने की कला।

12. रिपोर्ट लेखन; गतिविधियों को आगे बढाने सम्बन्धी लेखो की तैयारी, ग्रन्थ सूची, तथ्यों और आंकडों की प्रस्तुति; साराशों की तैयारी।

13. बैठकों और चर्चाओं का आयोजन; प्रेस सम्मेलन, औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकें, प्रदर्शनियां, सर्वेक्षण, रोड–शो, लाच, अभियान।

14 संकल्पनात्मक और विवेचनात्मक निपुणताओ का विकास–जटिल सामग्री से प्रमुख मुद्दों को सरल ढंग से पेश करना, प्राथमिकताओं की पहचान, सूचना के नानाविध स्रोतों का एकीकरण, सोच मे स्पष्टता।

15 वैयक्तिक और व्यावसायिक विकास; सामान्य और उपयोगी ज्ञान की उद्भावना, भावनात्मक प्रज्ञा, व्यक्तिगत आचार और व्यवहार, आत्म विश्वास, पहल और अभिप्रेरणा, व्यापार कौशल, सृजनशीलता, नवीनता और उन्नयन, परिवर्तन के लिए योजना; नई स्थितियों से सामजस्य, भावनात्मक स्थिरता, ज्ञान में भागीदारी और प्रयुक्त करना टीम–निर्माण और नेतृत्व करना।

ग्रुप–II

प्रश्न पत्र 5 : कम्पनी विधि

ज्ञान का स्तर : विशेषज्ञ ज्ञान

उद्देश्य :

(i) पंजीकृत कम्पनियो के विनियमों को समझने तथा भारतीय कम्पनी विधि के प्रावधानों एवं इनके अधीन बनी अनुसूचियों और नियमो को पूरी तरह समझाना जिसमें केस–लॉ, विभागीय स्पष्टीकरणो आदि के जरिए उनकी व्याख्या करना भी शामिल है।

(ii) सहकारी विधि के सिद्धांतों की संकल्पनात्मक जानकारी देना

ब्यौरेवार अन्तर्वस्तु:

1. भूमिका

व्यापार–माध्यम के रूप में कम्पनी कारबार उद्यम की प्रकृति और

के लिए उपयुक्त है; और

(ख) ऐसा व्यक्ति, -

(i) लेखा परीक्षा सेवा प्रारंभ होने की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है; और

(ii) इन विनियमों के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) उत्तीर्ण कर चुका है; और

(iii) परिषद् द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट रीति में कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है:

परन्तु यह कि ऐसा अभ्यर्थी जिसने फाउंडेशन/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, ऐसे समय तक स्वयं को लेखा परीक्षा लिपिक के रूप में पंजीकृत कराने का पात्र होगा जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए:

परन्तु, आगे यह भी कि ऐसा अभ्यर्थी जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट परीक्षा स्कीम के प्रारम्भ होने से पूर्व आडिट (लेखा परीक्षा) लिपिक के रूप में पंजीकृत था, इस सन्दर्भ में, इस तथ्य पर ध्यान दिये बगैर कि उसने चार्टर्ड अकाउन्टेण्टस विनियम 1988 के अनुसूची 'ख' के पैरा '2क' के अन्तर्गत पाठ्यक्रम में इन्टरमीडिएट परीक्षा पास कर ली है या नहीं, अथवा उसके व्यवहारिक परीशिक्षण की अवधि के बीच में किसी प्रकार का अन्तराल या रुकावट आ गई थी, इन विनियमों के अधीन व्यवहारिक परीशिक्षण की बांकी बची अवधि को जारी रखने एवं पूरा करने के लिये ग्राहय होगा।"

(xxii) विनियम 72 में, उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) ऐसा संपरीक्षा लिपिक, जिसने इन विनियमों के अधीन वृत्तिक शिक्षा (परीक्षा-II) या इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, अपने विवेकानुसार औद्योगिक प्रशिक्षार्थी के रूप में उप विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी ऐसे वित्तीय, वाणिज्यक, औद्योगिक उपक्रम में जिसकी कम से कम स्थिर आस्तियां 1 करोड़ रुपए की हो या कम से कम आवृत्ति 10 करोड़ रुपए की हो; या कम से कम समादत्त अंश पूंजी 10 लाख रुपए की हो, अथवा परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी अन्य संस्था या संगठन में सेवा कर सकेगा:

परन्तु यह कि संपरीक्षा लिपिक ने ऐसा प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तारीख से कम से कम तीन मास पूर्व औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के अपने आशय से अपने नियोजक को सूचित कर दिया हो;"

(xxiii) विनियम 72 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"72क. सामान्य प्रबंध और संचार कौशल पाठ्यक्रम और उसकी अवधि।

ऐसा परीक्षा लिपिक जिसने इन विनियमों में यथा उपबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, संस्थान की सदस्यता के लिए आवेदन करने के पूर्व सामान्य प्रबन्ध और संचार कौशल के पाठ्यक्रम में या किसी ऐसे अन्य पाठ्यक्रम में ऐसी रीति से सम्मिलित होना अपेक्षित है, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जायेगा।"

अशोक हल्दिया, सचिव

[विज्ञापन-3/4/असाधारण/104/01]

टिप्पणी :—1. मूल विनियम, दिनांक 1 जून, 1988 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में अधिसचूना संख्या 1 सी.ए. (7)/134/88 दिनांक 1 जून, 1988 के तहत प्रकाशित किये गये थे।

2. तत्पश्चात् समय-समय पर संशोधित किये गये एवं पिछले इस तरह के संशोधनों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(i) अधिसूचना संख्या 1 सी.ए.(7)/19/92 दिनांक 7 मार्च, 1992 का भारत का राजपत्र में प्रकाशित (विनियम 23,24,28,31,36,43,45,51,69 एवं 72)

(ii) अधिसूचना संख्या 1 सी. ए.(7)/45/99 दिनांक 26 फरवरी, 2000 का भारत का राजपत्र में प्रकाशित।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 2001

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(7)/51/2000 :—Whereas certain draft amendments further to amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, were published by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) at pages 3139 to 3154 of the Gazette of India, Part III Section 4, dated the 8th July, 2000 under the notification of the Institute of Chartered Accountants of India No. 1-CA(7)/51/2000 dated 12th June, 2000;

And whereas objections and suggestions were invited before the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the said Gazette were made available to the public;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 18th July, 2000;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft amendments have been considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India and approved by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of the said Act, the Council, with the approval of the Central Government, hereby, makes the following amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988, namely:-

1. **(1)** These regulations may be called the Chartered Accountants (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988, –

(i) in regulation 4, after clause (a), the following shall be inserted, namely:-

"(aa) has completed the practical training and attended the course as provided in these regulations and passed the final examination as may be specified by the Council; or";

(ii) for regulation 21, the following regulation shall be substituted, namely:-

"21. Conditions to become a member

Except as otherwise provided in the Act or these Regulations, a person in order to qualify himself for membership of the Institute should have -

(a) completed the practical training as provided in these regulations and have passed the Final examination as per the syllabus specified in Schedule `B'; or

(b) completed the practical training, passed the Final examination as per the syllabus as may be specified by the Council and attended the course as provided in these regulations.";

(iii) regulation 23 shall be omitted;

(iv) in regulation 24, after sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, at any time after the commencement of registration for the Professional Education (Course – I), discontinue registration for the Foundation Course.";

(v) In regulation 25, after sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely:-

"(4) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, at any time after the commencement of registration for the Professional Education (Course – I), discontinue holding the Foundation Course Examination under these regulations and require the candidates to pass the Professional Education (Examination – I) as per the syllabus as may be specified by the Council.

(vi) after regulation 25, the following regulations shall be inserted, namely:-

"25A. Registration for Professional Education (Course – I)

(1) No candidate shall be registered for the Professional Education (Course – I) unless he has passed the Senior Secondary Examination (10 + 2 examination) conducted by an examining body constituted by law in India or an examination recognised by the Central Government or the Council as equivalent thereto.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has appeared in the final Senior Secondary Examination or an examination recognised by the Central Government or the Council as equivalent thereto may be provisionally registered for the Professional Education (Course – I) by the head of the coaching organisation, by whatever name designated, set up under the aegis of the Council:

Provided that the provisional registration of such candidate shall be confirmed only after satisfactory proof of having passed the examination referred to in this sub-regulation, has been furnished by him to the coaching organisation within a period of six months from the date of provisional registration:

Provided further that if such candidate fails to produce such proof within the aforesaid period of six months his provisional registration shall be cancelled and the registration fee or the tuition fee paid by him shall not be refunded and for the purpose of these regulations no credit shall be given for the theoretical education undergone and eligibility tests passed.

(3) A candidate shall pay such fee, as may be fixed by the Council from time to time, along with his application in the Form approved by the Council, for registration to the Professional Education (Course – I).

25B. Admission to the Professional Education (Examination - I), Fees and Syllabus.

(1) No candidate shall be admitted to the Professional Education (Examination–I) unless he produces a certificate from the head of the coaching organisation, by whatever name designated, set up under the aegis of the Council, to the effect that he is registered with the coaching organisation and has complied with the requirements of the theoretical education scheme, as may be specified by the Council from time to time:

Provided that a graduate within the meaning of clause (ix)(b) of regulation 2 shall be exempted from passing the Professional Education (Examination – I), if such person is a –

(i) commerce graduate having passed the graduation examination with accountancy, auditing and mercantile law or commercial law as full examination papers, securing in the aggregate a minimum of 50% of the total marks in the examination; or

(ii) non-commerce graduate having passed the graduation examination with mathematics as one of the subjects securing in the aggregate a minimum of 60% of the total marks in the examination; or

(iii) commerce graduate having passed the graduation examination without accountancy, auditing and mercantile law or commercial law as full examination papers and non-commerce graduate having passed the graduation examination with subjects other than mathematics as

one of the subjects securing in the aggregate a minimum of 55% of the total marks in the examination:

Provided further that a candidate who has passed the final examination conducted by the Institute of Cost and Works Accountants of India or by the Institute of Company Secretaries of India, set up under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) or the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) respectively shall also be exempted from passing the Professional Education (Examination – I).

Explanation: For the purposes of this regulation -

(i) "full examination paper" means a paper carrying not less than 50 marks;

(ii) for the purpose of calculating the percentage of marks, the marks secured in subjects in which a person is required by the regulations of the university or the examining body concerned to obtain only pass marks and for which no special credit is given for higher marks, shall be ignored;

(iii) in the case of non-commerce graduates with mathematics as one of the subjects, if the marks allotted to the subject of mathematics, involving one or more papers in the syllabus for the concerned course are less than 10 per cent of the total marks in the examination shall be deemed to be graduate with subject other than mathematics as one of the subjects, and shall be covered under regulation 25B (1)(iii); and

(iv) any fraction of half or more shall be rounded up to the next whole number.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) above, a candidate, who fails to pass the Professional Education (Examination - I) in five consecutive attempts from the examination in which he is eligible to appear, shall not be admitted to the said examination.

Explanation: For the purpose of this regulation, any attempt not availed of after becoming eligible to appear in the examination shall be reckoned as an attempt for calculating the five consecutive attempts.

(3) A candidate for the Professional Education (Examination – I) shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(4) A candidate for the Professional Education (Examination – I) shall be examined in the subjects as may be specified by the Council from time to time." ;

(vii) in regulation 28, for sub-regulation (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, at any time after introduction of Professional Education (Course – II), discontinue holding the Intermediate Examination under Schedule `B' and require the candidates to pass the Professional Education (Examination – II) as per the syllabus as may be specified by the Council." ;

(viii) after regulation 28, the following regulations shall be inserted, namely:-

"28A. Registration for Professional Education (Course –II)

(1) No candidate shall be registered for the Professional Education (Course – II) unless he has passed the Professional Education (Examination – I) or is exempted from the said examination under these regulations:

Provided that a candidate who has passed the Entrance or Foundation Examination under the Chartered Accountants Regulations, 1988, shall be eligible to register himself for the Professional Education (Course – II).

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate falling in any of the following categories shall also be provisionally registered for the Professional Education (Course – II) by the head of the coaching organisation, by whatever name designated, set up under the aegis of the Council:

(i) A candidate who has appeared in the Professional Education (Examination – I) under these regulations; or the Final Examinations of the Institute of Cost and Works Accountants of India or the Institute of Company Secretaries of India;

(ii) A candidate who has passed the second year graduation examination giving a declaration to the effect that being eligible to appear in the final year graduation examination within six months from the date of provisional registration intends to appear in the said final year graduation examination within the aforesaid period of six months.

(3) The provisional registration of such candidate shall be confirmed only on submission of proof of having passed the Professional Education (Examination – I); or the Final Examination conducted by the Institute of Cost and Works Accountants of India or by the Institute of Company Secretaries of India or graduation examination with the minimum marks as specified in the first proviso to regulation 25B(1) to the coaching organisation within a period of three months in the case of a candidate falling under clause (i) and within six months in the case of a candidate falling under clause (ii) of sub-regulation (2) from the date of appearing in final graduation examination:

Provided that if such a candidate fails to produce such proof within the aforesaid period of three months or six months, as the case may be, his provisional registration shall be cancelled and the registration fee or the tuition fee paid by him shall not be refunded and for the purpose of these regulations no credit shall be given for the theoretical education undergone and eligibility tests passed.

(4) A candidate shall pay such fee, as may be fixed by the Council from time to time, along with his application in the Form approved by the Council, for admission to the Professional Education (Course – II).

28B. Admission to the Professional Education (Examination – II), Fees and Syllabus.

(1) No candidate shall be admitted to the Professional Education (Examination – II) unless he produces a certificate from the head of the coaching organisation, by whatever name designated, set up under the aegis of the Council, to the effect that he is registered with the coaching organisation and has complied with the requirements of the theoretical education scheme.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has completed the practical training either partly or fully before the commencement of these regulations but has not passed the Intermediate examination under the syllabus given in para 2A of Schedule `B' to these regulations shall, instead be required to pass Professional Education (Examination – II) and for the purpose of these regulations, the eligibility test earlier passed by him, if any, shall remain valid:

Provided that such candidate shall be entitled to continue and complete the practical training under these regulations.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) and (2), a candidate, who fails to pass the Professional Education (Examination - II) in five consecutive attempts from the examination in which he is eligible to appear, shall not be admitted to the said examination.

Explanation: For the purpose of this regulation, any attempt not availed of after becoming eligible to appear in the examination shall be reckoned as an attempt for calculating the five consecutive attempts.

(4) A candidate for the Professional Education (Examination – II) shall pay such fees as may be fixed by the Council from time to time.

(5) A candidate for the Professional Education (Examination – II) shall be examined in the subjects as may be specified by the Council from time to time." ;

(ix) in regulation 29, for the heading the following shall be inserted, namely:-

"29. Admission to the Final Examination
[Applicable to candidates appearing in Final examination under the syllabus prescribed in Para 3A of Schedule `B']" ;

(x) after regulation 29, the following regulation shall be inserted, namely:-

"29A. Admission to the Final Examination
[Applicable to candidates appearing in Final examination under the syllabus as may be specified by the Council)

(1) No candidate shall be admitted to the Final examination unless:-

(i) he has passed the Professional Education (Examination – II) under these regulations; and

(ii) he has completed the practical training as is required for admission as a member or is serving the last six months of practical training on the first day of the month in which the examination is scheduled to be held; and

(iii) he produces a certificate from the head of the coaching organisation, by whatever name designated, set up under the aegis of the Council, to the effect that he has complied with the requirements of the theoretical education scheme:

Provided the requirement of theoretical education scheme shall not be applicable to a candidate who was admitted to the final examination held prior to the commencement of the final examination under the syllabus specified by the Council.

Explanation:- In computing the aforesaid period of six months, leave taken in excess of 138 days in the case of an articled clerk and 184 days in the case of an audit clerk shall be regarded as the period required to be served under articled or audit service, as the case may be.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a candidate who has either passed the Intermediate examination under these regulations or the Chartered Accountants Regulations, 1964, or the Intermediate or the First examination under the Chartered Accountants Regulations, 1949 or was exempted from passing the first examination under that regulations shall also be admitted to the final examination provided he has completed the practical training as is required for admission as a member or has been serving the last six months of practical training including excess leave if any, on the first day of the month in which the examination is scheduled to be held.

Explanation:- In computing the aforesaid period of six months, leave taken in excess of 138 days in the case of an articled clerk and 184 days in the case of an audit clerk shall be regarded as the period required to be served under articled or audit service, as the case may be.

(xi) for regulation 31, the following regulation shall be substituted, namely:-

"31. Syllabus for the Final Examination

(1) A candidate for the final examination shall be examined in the groups and subjects prescribed in paragraph 3A of Schedule `B'.

(2) Notwithstanding anything contained in these regulations, the Council may, at any time after introduction of Professional Education (Course – II), discontinue holding the Final Examination under paragraph 3A of Schedule `B' and require the candidates to pass the Final examination as per the syllabus as may be specified by the Council." ;

(xii) for regulation 36, the following regulation shall be substituted, namely:-

"36. Requirement for passing the Foundation and the Professional Education (Examination – I).

(1) A candidate for the Foundation Examination shall ordinarily be declared to have passed the examination if he obtains at one sitting a minimum of 40 per cent marks in each paper and a minimum of 50 per cent of the total marks of all the papers.

(2) A candidate for the Professional Education (Examination – I) shall ordinarily be declared to have passed the examination if he obtains at one sitting a minimum of 40 per cent marks in each paper and a minimum of 50 per cent of the total marks of all the papers." ;

(xiii) after regulation 37, the following regulation shall be inserted, namely:-

"37A. Requirements for passing the Professional Education (Examination– II):

(1) A candidate shall ordinarily be declared to have passed the Professional Education (Examination - II) if he passes in both the groups. He may, either appear in both the groups simultaneously or in one group in one examination and in the other group at any subsequent examination.

(2) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the groups simultaneously, if he -

(a) secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper of each of the groups and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of each of the groups; or

(b) secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper of both the groups and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in a group if he secures at one attempt a minimum of 40 percent marks in each paper of the group and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of that group.

(4) A candidate who has passed in any one but not in both the groups of the Intermediate examination held under Schedule `B' or Schedule `BB' to the Chartered Accountants Regulations, 1964 or under paragraph 2 of Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988 and has subsequently appeared or required to appear as unit candidate under para 2A of Schedule `B' to that regulations, but has not passed the respective unit, shall be entitled to appear in their respective unit till the commencement of the examination as per syllabus specified by the Council. Thereafter, the entitlement to appear as a `unit' candidate shall cease and such candidates shall be required to appear in all the papers of both the groups to pass the Professional Education (Examination - II) as per syllabus as may be specified by the Council, if they wish to pursue the course.

Explanation:- The expression `unit' referred to above is a set of papers in which a candidate who has passed in any one but not in both the groups of Intermediate examination prior to the commencement of examination under the syllabus specified in para 2A of Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988, is required to appear and pass.

(5) The Council may, frame guidelines for granting exemption in a group or paper(s) to a candidate who has passed one of the groups under para 2A of Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988 or under any other syllabus subsequently specified by the Council, in the new syllabus specified by it. Such candidates shall be required to secure a minimum of 40 per cent marks in a paper and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of such paper/group to pass the examination:

Provided that any subsequent changes in the said guidelines shall have prior approval of the Central Government.

(6) The Council may, frame guidelines to continue to grant exemption in a paper(s) to a candidate, granted earlier under the erstwhile syllabus for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers for the paper/s in which he had secured exemption if the corresponding

paper exists in the new syllabus as may be specified by the Council and will be appearing in the corresponding paper for the paper in which he had failed and shall be declared to have passed the examination if he secures at one sitting a minimum of 40 per cent marks in the corresponding paper for the paper in which he had failed and a minimum of 50 per cent marks in the aggregate of all the papers of the groups including the marks of the paper in which he had earlier been granted exemption by the Council:

Provided that any subsequent changes in the said guidelines shall have prior approval of the Central Government:

Provided further that a candidate who had appeared as a unit candidate under syllabus as given in para 2A of Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988 and had earlier been granted exemption by the Council, shall be entitled to avail the unexpired chance(s) of the exemption till the commencement of the examination under the syllabus as may be specified by the Council. If such a candidate fails to pass the unit to which he belongs, before the commencement of the examination as per syllabus specified by the Council, the unavailed chance(s) of exemption shall thereafter automatically lapse consequent upon the discontinuation of the unit scheme of examination.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (6), a candidate who fails in one or more papers comprised in a group but secures a minimum of 60 percent of the marks in any paper or papers of that group shall be eligible to appear at any one or more of the immediately next three following examinations in the paper or papers in which he secured less than 60 percent marks and shall be declared to have passed in that group if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each of such papers and a minimum of 50 percent of the total marks of all the papers of that group including the paper or papers in which he had secured a minimum of 60 percent marks in the earlier examination referred to above if he was present in all the papers of that group and has already exhausted earlier exemption, if any, granted to him in that group.

(xiv) after regulation 38, the following regulation shall be inserted, namely:-

"38A. Requirements for passing the Final Examination
[Applicable to candidates appearing in Final examination under the syllabus as may be specified by the Council]

(1) A candidate shall ordinarily be declared to have passed the Final Examination if he passes in both the groups. He may, either appear in both the groups simultaneously or in one group in one examination and in the other group at any subsequent examination.

(2) A candidate shall ordinarily be declared to have passed in both the groups simultaneously, if he -

(a) secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper of each of the groups and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of each of the groups; or

(b) secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper of both the groups and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of both the groups taken together.

(3) A candidate shall be declared to have passed in a group if he secures at one sitting a minimum of 40 percent marks in each paper of the group and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of all the papers of that group.

(4) A candidate who has passed in any one but not in all the groups of the Final examination held under Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1964 or under Schedule `BB' to that regulations (prior to 1st January, 1985 under three groups system) and has subsequently appeared or required to appear as unit candidate under para 3A of Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988, but has not passed the respective unit, shall be entitled to appear in the respective unit till the commencement of the examination as per syllabus as may be specified by the Council. Thereafter, the entitlement to appear as a `unit' candidate shall cease and such candidates shall be required to appear in all

the papers of both the groups to pass the Final Examination as per syllabus as may be specified by the Council, if they wish to pursue the course.

Explanation:- The expression `unit' referred to above is a set of papers in which a candidate who has passed in any one or more but not in all the groups of Final examination prior to the commencement of examinations under the syllabus specified in para 3A of Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988, is required to appear and pass.

(5) The Council may, frame guidelines for granting exemption in a group or paper(s) to a candidate who has passed one of the groups under para 3A of Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988 or under any other syllabus subsequently specified by the Council, in the new syllabus specified by it. Such candidates shall be required to secure a minimum of 40 per cent marks in a paper and a minimum of 50 percent marks in the aggregate of such paper/group to pass the examination:

Provided that any subsequent changes in the said guidelines shall have prior approval of the Central Government.

(6) The Council may, frame guidelines to continue to grant exemption in a paper(s) to a candidate, granted earlier under the erstwhile syllabus for the unexpired chance or chances of the exemption in the corresponding paper or papers for the paper/s in which he had secured exemption if the corresponding paper exists in the new syllabus as may be specified by the Council and will be appearing in the corresponding paper for the paper in which he had failed and shall be declared to have passed the examination if he secures at one sitting a minimum of 40 per cent marks in the corresponding paper for the paper in which he had failed and a minimum of 50 per cent marks in the aggregate of all the papers of the groups including the marks of the paper in which he had earlier been granted exemption by the Council:

Provided that any subsequent changes in the said guidelines shall have prior approval of the Central Government:

Provided further that a candidate who had appeared as a unit candidate under syllabus as given in para 3A of Schedule `B' to the Chartered Accountants Regulations, 1988 and had earlier been granted exemption by the Council, shall be entitled to avail the unexpired chance(s) of the exemption till the commencement of the examination under the syllabus as may be specified by the Council. If such a candidate fails to pass the unit to which he belongs, before the commencement of the examination as per syllabus specified by the Council, the unavailed chance(s) of exemption shall thereafter automatically lapse consequent upon the discontinuation of the unit scheme of examination.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (6), a candidate who fails in one or more papers comprised in a group but secures a minimum of 60 percent of the marks in any paper or papers of that group shall be eligible to appear at any one or more of the immediately next three following examinations in the paper or papers in which he had secured less than 60 percent marks and shall be declared to have passed in that group if he secures at one attempt a minimum of 40 percent marks in each of such paper or papers and a minimum of 50 percent of the total marks of all the papers of that group including the paper or papers in which he had secured a minimum of 60 percent marks in the earlier examination referred to above, if he was present in all the papers of that group and has already exhausted earlier exemption, if any, granted to him in that group.;

(xv) for regulation 43, the following regulation shall be substituted, namely:-

"43. Engagement of Articled Clerks

(1) Only such a member who is practising in individual name or in a trade name as sole proprietor or in partnership, shall subject to the provisions of these regulations and subject to such terms and conditions as the Council may deem fit to impose in this behalf, be entitled to train such number of articled clerks as are specified hereinafter:-

(I)	If he has been in continuous practice for a period of not less than three years.	one articled clerk

(ii)	If he has been in continuous practice for a period of not less than five years.	two articled clerks
(iii)	If he has been in continuous practice for a period of not less than seven years.	three articled clerks

(2) A member who is in salaried employment under a chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants shall not be eligible to train articled clerks. However, such a member, who has one or more articled clerk/s serving under him, on the date of coming into force of these regulations, shall continue to train articled clerk/s till such time, the articled clerk/s already serving under him complete his/their articles training.

(3) Where a member who discontinues his practice or resigns from his partnership/employment in a firm and at the time of discontinuance of practice or his resignation, has one or more articled clerks serving under him, such articled clerks would continue to serve the balance period of his/their articles in the firm, even though all other remaining partners are already training up to their maximum entitlement. Such member would not be entitled to train articled clerk/s till the expiry of the balance period of training of the articled clerk/s previously registered under him.

(4) Where a member is a partner in more than one firm and/or is also practising in a trade name as sole proprietor or in his individual name the number of articled clerks which can be trained by such member shall not exceed his entitlement specified in sub-regulation (1).

(5) A member shall be entitled to engage or train an articled clerk only if he is in practice and such practice, in the opinion of the Council is his main occupation and for the purposes of sub-regulation (1) in ascertaining the number of years for which a member was in continuous practice, only the number of years in respect of which the member's practice was his main occupation shall be considered:

Provided that the Council may, in its discretion, condone any break in the continuity of practice, for a period not exceeding 182 days in the aggregate.

Explanation - For the purpose of this sub-regulation, a member who sets up practice, with practice as his main occupation, after having been in employment for a minimum period of six years in one or more financial, commercial or industrial undertakings approved under regulations 51 and 72 shall be deemed to have been in continuous practice for three years.

(6) The Council may, subject to such terms and conditions as it may deem fit, relax any of the provisions of this regulation in any particular case.

(7) The entitlement of a member to train articled clerks under this regulation shall be subject to such decision as may be made by the Council under regulation 67.

(8) Notwithstanding anything contained in this regulation, the Council may permit a member practicing in individual name or in a trade name as a proprietor or a firm of such chartered accountant/s to engage articled clerk/s on such basis and such terms and conditions as may be specified by the Council from time to time." ;

(xvi) for regulation 45, the following regulation shall be substituted, namely:-

"45. Admission to articleship

A member engaging articled clerks shall before accepting a person as an articled clerk, satisfy himself that:-

(a) his professional practice (either in his individual name, or in a trade name or as a partner of the firm), is suitable for the purpose of training articled clerks; and

(b) such a person –

(i) is not less than 18 years of age on the date of commencement of articles; and

(ii) has passed the Professional Education (Examination – II) under these Regulations; and

(iii) has successfully completed computer training programme as may be specified from time to time by the Council and in the manner so specified:

Provided that a candidate, who has passed the Foundation/Graduation Examination, shall be eligible to register himself as articled clerk, till such time as may be specified by the Council:

Provided further that a candidate who was registered as an articled clerk before the commencement of the scheme of examination specified by the Council shall be eligible to continue and complete the remaining period of practical training under these regulations, irrespective of whether he passed the Intermediate examination or not as per syllabus given in para-2A of Schedule-B to the Chartered Accountants Regulations, 1988 and/or there was any break in the continuity of his practical training. ";

(xvii) in regulation 48, for the first proviso to sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"Provided that an additional stipend of Rs.300 per month shall be paid to the articled clerk on his passing the Intermediate examination or to the articled clerk who has passed Professional Education (Examination – II) during his articleship period under these regulations, from the first day of the month following the date of declaration of the result, irrespective of above classification of rates of stipend with reference to cities/towns. However, an articled clerk registered after passing the Professional Education (Examination – II), shall not be entitled for any additional stipend." ;

(xviii) in regulation 51, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) An articled clerk who has passed the Professional Education (Examination – II) or the Intermediate examination under these regulations may, at his discretion, serve as an industrial trainee for the period specified in sub-regulation (2) in any of the financial, commercial, industrial undertakings with minimum fixed assets of Rs. 1 crore; or minimum total turnover of Rs.10 crores; or minimum paid-up share capital of Rs.50 lakhs; or such other institution or organisation as may be approved by the Council from time to time:

Provided that the articled clerk has intimated to his principal his intention to take such industrial training at least three months before the date on which such training is to commence." ;

(xix) after regulation 51, the following regulation shall be inserted, namely:-

"51A. Course on General Management and Communication Skills and period thereof.

An articled clerk who has completed the practical training as provided in these regulations, before applying for membership of the Institute, shall be required to attend a course on General Management and Communication Skills or any other course as may be specified by the Council from time to time and in the manner so specified." ;

(xx) regulation 55 shall be omitted;

(xxi) in regulation 69, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) A member in practice before applying for registration of the service of an audit clerk shall satisfy himself that:-

(a) his professional practice (either in his individual name or in a trade name or as a partner of the firm) is suitable for the purpose of engaging audit clerks; and

(b) such a person –

(i) is not less than 18 years of age on the date of commencement of audit service; and

(ii) has passed the Professional Education (Examination – II) under these Regulations; and

(iii) has successfully completed computer training programme as may be specified from time to time by the Council and in the manner so specified:

Provided that a candidate, who has passed the Foundation/Graduation Examination, shall be eligible to register himself as audit clerk, till such time as may be specified by the Council:

Provided further that a candidate who was registered as an audit clerk before the commencement of the scheme of examination specified by the Council shall be eligible to continue and complete the remaining period of practical training under these regulations irrespective of whether he passed the Intermediate examination or not as per syllabus given in para-2A of Schedule-B to the Chartered Accountants Regulations, 1988 and/or there was any break in the continuity of his practical training.";

(xxii) in regulation 72, for sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) An audit clerk who has passed the Professional Education (Examination – II) or the Intermediate examination under these regulations may, at his discretion, serve as an industrial trainee for the period specified in sub-regulation (2) in any of the financial, commercial, industrial undertakings with minimum fixed assets of Rs. 1 crore; or minimum total turnover of Rs.10 crores; or minimum paid-up share capital of Rs.50 lakhs; or such other institution or organisation as may be approved by the Council from time to time:

Provided that the audit clerk has intimated to his employer his intention to take such industrial training at least three months before the date on which such training is to commence." ;

(xxiii) after regulation 72, the following regulation shall be inserted, namely:-

"72A. Course on General Management and Communication Skills and period thereof.

An audit clerk who has completed the practical training as provided in these regulations, before applying for membership of the Institute, shall be required to attend a course on General Management and Communication Skills or any other course as may be specified by the Council from time to time and in the manner so specified.".

ASHOK HALDIA, Secy.

[ADVT.-III/IV/Exty./104/01]

Foot Note :—1. Principal regulations were published vide Notification No. 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988. in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 1st June, 1988.

2. Subsequently amended from time to time and last such amendments are as follows:-

(i) Notification No. 1-CA(7)/19/92 published in the Gazette of India, dated 7th March, 1992 (Regulations 23, 24, 28, 31, 36, 43, 45, 51, 69 and 72).

(ii) Notification No. 1-CA(7)/45/99 published in the Gazette of India, dated 26th February, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054